कार्यालय, नगर पालिक निगम, इंदौर

क्रमांक 196

दिनांक 07/05/18

आदेश

नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/शाखा–1/स्था/न.नि./PEB/2018/7682 भोपाल दिनांक 16 अप्रैल 2018 के द्वारा प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के माध्यम से उत्तीर्ण होकर आये 14 उपस्वच्छता पर्यवेक्षक के पद हेतु संवर्गवार चयनित अभ्यार्थियों के मूल अभिलेखों का अपने स्तर से परीक्षण करते हुए सूची मय अभिलेखों के निगम को उपलब्ध कराई गई। तदनुसार निम्न अभ्यार्थियों को वेतनमान रू 5200–20200+ग्रेड पे–1900 एवं नियमानुसार महगांई भत्ते व अन्य देय हितलाभ के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर पूर्णतः अस्थाई रुप से नगर निगम, इंदौर में नियुक्त किया जाता है :–

क्र.	अभ्यार्थी का पूरा नाम	संवर्ग
1	श्री राजेन्द्र पिता सुरेश प्रसाद तिवारी	UR/M
2	श्री उमाकांत पिता विनोद शर्मा	UR/M
3	श्री सचिन पिता अशोक	UR/M
4	श्री नितेश पिता रामगोपाल श्रीवास्तव	UR/M
5	श्री गौरव पिता रमेश कुमार जैन	UR/M
6	श्री उपेन्द्रकुमार पिता रामप्रकाश शर्मा	UR
7	श्री विजयकुमार पिता रामबिहारी मिश्रा	UR/M
8	श्री अनुपम पिता ज्ञानेन्द्र पाण्डे	UR/M
9	श्री अनुज पिता महेशचंद्र जैन	UR/M
10	श्री हर्षित पिता आनंदराव सूर्यवंशी	OBC/M
11	श्री हर्षित पिता परशुराम लोधी	OBC/M
12	श्री दीपेश पिता रामचरण साहू	OBC/M
13	श्री संतोष कुमार पिता रामचरण रजक	OBC/M
14	श्री मनीष पिता देशराजसिंह यादव	OBC/M

उपरोक्त अभ्यार्थियों को निम्न शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :–

1. संबंधित अभ्यार्थी आदेश प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रुप से श्री एस.के.सिन्हा, उपायुक्त (स्थापना) को अपनी ज्वाईनिंग प्रस्तुत करें।
2. अभ्यार्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला चिकित्सालय से जारी किया जाने वाला स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (फिटनेस) प्रस्तुत करना होगा।
3. पुलिस चरित्र सत्यापन हेतु स्वयं के वर्तमान में निवास स्थान संबंधी जानकारी का प्रमाणीकरण मय शपथ–पत्र के प्रस्तुत करना होगा।
4. चयनित अभ्यार्थी यदि विवाहित है तो उसे शपथ–पत्र देना होगा कि उसकी दो से अधिक जीवित संतान नही है।

5. चयनित अभ्यार्थी पूर्व से किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में है तो उसे उक्त पद त्याग करने संबंधी सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी कार्यमुक्ति आदेश की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. प्रस्तुत अभिलेखों में से कोई प्रमाण–पत्र या जानकारी असत्य एवं गलत पाई जाने पर अभ्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं उसकी नियुक्ति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।
7. उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई रुप से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए है परंतु नगर निगम दो वर्ष पूर्व भी आवश्यकता नही होने पर एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन अग्रिम देकर सेवा समाप्त कर सकेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(आयुक्त महोदय के आदेशानुसार)

(ह.) एस.के.सिन्हा,
उपायुक्त,
नगर पालिक निगम, इंदौर

पृ.कमांक 1209 से 1217 एड   दिनांक 07/05/18

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान. महापौरजी नगर पालिक निगम, इंदौर की ओर मान. महापौरजी को अवगत कराने के कम में सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग,मंत्रालय, भोपाल म.प्र.
3. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, भोपाल म.प्र.
4. पुलिस अधीक्षक, जिला–इंदौर म.प्र.
5. सिविल सर्जन, शास. गोविंद वल्लभ पंत चिकित्सालय, धार रोड़ इंदौर
6. अपर आयुक्त (समस्त) नगर पालिक निगम, इंदौर
7. उपायुक्त (स्थापना/स्वास्थ्य/आय.टी.) नगर पालिक निगम, इंदौर
8. संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंदौर संभाग, इंदौर
9. संबंधित ....सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार पालनार्थ।

उपायुक्त,
नगर पालिक निगम, इंदौर